

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
12-6-2025	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्री वैभवकृष्ण पारीक, अभिभाषक प्रार्थी। श्री नरसिंह रावत, अभिभाषक अप्रार्थीगण</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>1. हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-84 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-4-02 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।</p> <p>2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अप्रार्थी एक अजनबी व्यक्ति है जिसका अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं था। ना ही वह नामांतरकरण से व्यथित व्यक्ति है और ना ही वह नामांतरकरण कार्यवाही के दौरान पक्षकार था। अप्रार्थी ने अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया। अपील मियाद बाहर थी मियाद बाबत ठोस एवं समुचित कारण अंकित नहीं किये गये थे, जबकि विलम्ब के प्रत्येक दिन का ठोस कारण अंकित करना आवश्यक है। उनका यह भी तर्क है कि नामांतरकरण डिक्री की पालना में स्वीकृत किया गया है तथा पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः जिला कलेक्टर भरतपुर का आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे।</p> <p>3. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>4. उभय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा नामांतरकरण सं. 251 दिनांक 8-7-97 के विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दोराने अपील प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर जिला कलेक्टर भरतपुर ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 30-4-02 द्वारा अंतिम बहस के समय विचार किया जाना अंकित किया है।</p>	

निगरानी / एलआर/ 5774 / 2003 / भरतपुर
उदयसिंह जरिये वारिसान बनाम मांगीलाल जरिये वारिसान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	<p>जिसके विरुद्ध हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रश्नगत नामांतरकरण सं. 198/1 सहायक कलेक्टर बयाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7-8-92 की पालना में स्वीकृत किया गया है तथा नामांतरकरण सं. 251 दिनांक 8-7-97 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। पक्षकारानों के मध्य मूल वाद से संबंधित प्रकरण में दिनांक 3-1-2025 को राजीनामा हो चुका है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने निर्णय दिनांक 15-1-2025 से प्रार्थीगण की अपील स्वीकार की है तथा न्यायालय उपखंड अधिकारी रूपवास ने आदेश दिनांक 14-5-25 से अप्रार्थीगण के आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को विद्धो करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं हस्तगत निगरानी को स्वीकार किया जाकर जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-4-02 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p>(मदनलाल नेहरा) सदस्य</p>	